

**डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 2005)

**DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL
LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2005**

(U.P. Act No. 28 of 2005)

**डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि [विश्वविद्यालय]¹ उत्तर प्रदेश
अधिनियम, 2005**

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 2005]²

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 2006

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 2006

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05, सन् 2009

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 09, सन् 2015

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की गयी एवं दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 को उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय विधि [विश्वविद्यालय]¹ की स्थापना एवं निगमन और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम [डाक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005]¹ कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2-जब तक कि संदर्भ में अन्यथा न हो, इस अधिनियम में:-

परिभाषाएं

(एक) "विद्या परिषद" का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित संस्थान की विद्या परिषद से है;

(दो) [कुलपति]³ का तात्पर्य धारा 27 के अधीन नियुक्त [विश्वविद्यालय]¹ के [कुलपति]³ से है;

(तीन) "कार्य परिषद" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन गठित [विश्वविद्यालय]¹ की कार्य परिषद से है;

(चार) "महा-परिषद" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित [विश्वविद्यालय]¹ की महा परिषद से है;

(पांच) "विहित" का तात्पर्य विनियमावली द्वारा विहित से है;

(छः) "कुल-सचिव" का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त [विश्वविद्यालय]¹ के कुल-सचिव से है;

(सात) "विनियमावली" का तात्पर्य धारा 32 के अधीन बनायी गयी [विश्वविद्यालय]¹ की विनियमावली से है;

(आठ) [विश्वविद्यालय]¹ का तात्पर्य धारा 3 के अधीन बनायी गयी डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि [विश्वविद्यालय]¹ उत्तर प्रदेश से है;

(नौ) "प्रभारी सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव से है;

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उद्देश्य व कारणों के लिए अधिनियम के अन्त में देखें।

3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(दस) "राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा [विश्वविद्यालय]¹ में तैनात किये गये भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रान्तीय सिविल सेवा, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से है;

(ग्यारह) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो [विश्वविद्यालय]¹ द्वारा संस्थान में शिक्षण और अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन और संचालन के लिए नियोजित हो;

(बारह) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 7 में निर्दिष्ट संस्थान के कुलाध्यक्ष से है;

3—(1) ऐसे दिनांक से जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि [विश्वविद्यालय]¹, उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य में एक संस्थान की स्थापना की जायेगी।

[विश्वविद्यालय]¹
की स्थापना और
निगमन

(2) [विश्वविद्यालय]¹ एक निगमित निकाय होगा।

(3) [विश्वविद्यालय]¹ का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(4) इस धारा के अधीन स्थापित किये जाने वाले [विश्वविद्यालय]¹ के सम्बन्ध में,—

(क) राज्य सरकार [विश्वविद्यालय]¹ के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और [विश्वविद्यालय]¹ के अन्तरिम प्राधिकरणों का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, गठन करेगी;

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकरणों के सदस्य खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकरणों का गठन होने तक या ऐसे अन्य पूर्वतर दिनांक तक जैसा राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, पद वारण करेंगे:

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार [विश्वविद्यालय]¹ के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकरणों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

4—[विश्वविद्यालय]¹ के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

[विश्वविद्यालय]¹
के उद्देश्य

(एक) विधि और विधिक प्रक्रियाओं के अध्ययन और ज्ञान और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका का प्रसार करना और अग्रसर करना;

(दो) छात्र और अनुसंधानविद् में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं, विधान, विद्यमान विधियों में विधि सुधार और तत्समान के सम्बन्ध में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना;

(तीन) विधिक ज्ञान का संवर्धन करने और विधि एवं विधिक प्रक्रिया को सामाजिक विकास का दक्ष माध्यम बनाने के लिए व्याख्यानों, सेमिनारों, परिसंवादों और सम्मेलनों का आयोजन करना;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(चार) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ प्रदान करना; और

(पांच) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो [विश्वविद्यालय]¹ के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे।

5—[विश्वविद्यालय]¹ की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे:—

[विश्वविद्यालय]¹
की शक्तियाँ और
कृत्य

(एक) अनुसंधान, शिक्षा और शिक्षण के लिए [विश्वविद्यालय]¹ और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो [विश्वविद्यालय]¹ के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(दो) विधि से सम्बन्धित ज्ञान या अध्ययन की ऐसी शाखाओं में जिनमें [विश्वविद्यालय]¹ ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा विधिक ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(तीन) विधि, न्याय तथा सामाजिक विकास के सभी पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना;

(चार) किसी उपाधि या उपाधि पत्र (डिप्लोमा) हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए [विश्वविद्यालय]¹ में छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएं विहित करना और उन्हें विनियमित करना;

(पांच) निवेश—वाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व लेना;

(छः) परीक्षाओं का आयोजन करना और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी [विश्वविद्यालय]¹ अवधारित करें, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधियाँ एवं विद्या सम्बन्धी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्हीं ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण—पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को उचित व पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(सात) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को निर्धारित रीति से प्रदान करना;

(आठ) फीस और अन्य प्रभारी की नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(नौ) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख—रखाव करना और [विश्वविद्यालय]¹ के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(दस) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना और [विश्वविद्यालय]¹ के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए व्यवस्था करना;

(ग्यारह) विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना;

(तेरह) [विश्वविद्यालय]¹ के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायं;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(चौदह) आचार्य पदों, [सह/सहायक आचार्य पदों, प्राध्यापक पदों]¹ और [विश्वविद्यालय]² द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षिक या अनुसंधान पदों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थित करना;

(पन्द्रह) आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापकों के रूप में या अन्यथा [विश्वविद्यालय]² के अध्यापक और अनुसंधानविदों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(सोलह) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(सत्रह) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण प्रतिलिपि और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना;

(अठारह) विधि न्याय, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके सम्बन्ध में तय किया गया हो ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें [विश्वविद्यालय]² समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना;

(उन्नीस) अध्यापकों और विद्वानों के आदान-प्रदान और सामान्यतः ऐसी रीति से जो सामान्य उद्देश्यों के लिए साधक हो, विश्व के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य पूर्णतः अंशतः [विश्वविद्यालय]² के उद्देश्यों के सदृश हों, सहकार करना;

(बीस) [विश्वविद्यालय]² के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबंध करना;

(इक्कीस) [विश्वविद्यालय]² के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं और अध्ययन हालों की स्थापना और रख-रखाव करना जिन्हें [विश्वविद्यालय]² आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज-सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों की स्थापना और उनका रख-रखाव करना जो [विश्वविद्यालय]² के लिए सुविधाजनक रूप आवश्यक प्रतीत हों;

(बाइस) [विश्वविद्यालय]² प्रयोजनों के लिए उन उद्देश्यों के सुसंगत जिनके लिए [विश्वविद्यालय]² की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना;

(तेईस) किसी ऐसे भूमि, भवन या संकर्म को, जो [विश्वविद्यालय]² के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिसे यह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या निर्मिति का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख-रखाव करना;

(चौबीस) [विश्वविद्यालय]² के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी [विश्वविद्यालय]² ठीक और उचित समझे, [विश्वविद्यालय]² की समस्त सम्पत्तियों या उसके किसी भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर विक्रय करना, आदान-प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना;

परन्तु जहां सम्पत्तियों का सृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया हो, वहां राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित। (बावत उपचार्य पदों)

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(पच्चीस) भारत सरकार सम्बन्धी और अन्य बचत-पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मितिकाटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना;

(छब्बीस) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के सम्बन्ध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अन्तर्गत [विश्वविद्यालय]¹ की या [विश्वविद्यालय]¹ के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्र, अन्तरण, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेन्सों और करारों का निष्पादन करना;

(सत्ताइस) किसी लिखत को निष्पादित करने या संस्थान के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना;

(अठ्ठाइस) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना;

(उन्तीस) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो संस्थान की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, धन जुटाना और उधार लेना और [विश्वविद्यालय]¹ की निधि से समस्त व्ययों का, जो धन जुटाने के आनुषंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना;

(तीस) [विश्वविद्यालय]¹ की निधियों या [विश्वविद्यालय]¹ को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, का विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;

(इक्तीस) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विनियमावली द्वारा विहित की जायं, जैसे पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपदान की स्थापना करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह [विश्वविद्यालय]¹ के किन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थ उचित समझे और संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना जो [विश्वविद्यालय]¹ के कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए लाभप्रद हों;

(बत्तीस) ऐसे सभी अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें [विश्वविद्यालय]¹ अपने सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक सहायक या आनुषंगिक समझे।

6-(1) [विश्वविद्यालय]¹ की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में सभी मान्यता प्राप्त अध्यापन [विश्वविद्यालय]¹ के अध्यापकों द्वारा, महापरिषद के नियंत्रण के अधीन यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे।

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसे विहित किए जायें।

7-2[(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश [विश्वविद्यालय]¹ के कुलाध्यक्ष होंगे:

परन्तु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो वे भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी

[विश्वविद्यालय]¹ में
अध्यापन

[विश्वविद्यालय]¹ के
कुलाध्यक्ष

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 2015 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

आसीन न्यायाधीश को विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये नाम निर्दिष्ट करेंगे।¹

(2) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, [विश्वविद्यालय]², उसके भवन, पुस्तकालय तथा उपस्कर और [विश्वविद्यालय]² द्वारा अनुरक्षित किसी [विश्वविद्यालय]² एवं संस्थान द्वारा संचालित या कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार [विश्वविद्यालय]² के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराये जाने के अपने आशय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और [विश्वविद्यालय]² एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और उसे सुने जाने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के सम्बन्ध में निदेशक को लिख सकेगा और [कुलपति]³ कुलाध्यक्ष के विचारों एवं साथ में ऐसी सलाह के बारे में, जो कुलाध्यक्ष ने उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रदान की हो, महापरिषद को संसूचित करेगा।

(5) महापरिषद ऐसे निरीक्षण या जांच पर स्वयं द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही या की गयी कार्यवाही, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में [कुलपति]³ के माध्यम से कुलाध्यक्ष को संसूचित करेगी।

8—[विश्वविद्यालय]² के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

[विश्वविद्यालय]²
के प्राधिकारी

- (1) महापरिषद;
- (2) कार्य परिषद;
- (3) विद्या परिषद;
- (4) वित्त परिषद;
- (5) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विहित किये जायें।

9—(1) [विश्वविद्यालय]² की एक महापरिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य महापरिषद होंगे, अर्थात:—

एक – पदेन सदस्य

- (एक) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
 - (दो) मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
 - (तीन) मंत्री, विधि, उत्तर प्रदेश सरकार।
 - (चार) मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार।
 - (पांच) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
- 4[(पाँच—क) अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया]]
- (छः) अध्यक्ष, राज्य बार कौंसिल, उत्तर प्रदेश।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 9, 2015 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ०प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 26, 2006 की धारा 9 (1) द्वारा बढ़ाया गया।

(सात) प्रभारी सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

(आठ) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

(नौ) प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

(दस) [विश्वविद्यालय]¹ का [कुलपति]²।

दो-नामनिर्दिष्ट व्यक्ति

(एक) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का एक न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा।

(दो) [x x x x]³

(तीन) [x x x x]⁴

(चार) उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कोई कुलपति जो [महापरिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट]⁵ किया जाएगा।

(पांच) बार काँसिल आल इंडिया के सदस्यों में से उसका एक नाम निर्देशिती।

(छः) विधिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित पांच सदस्य जो [महापरिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट]⁶ किये जायेंगे।

[(2) उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री महापरिषद् का अध्यक्ष (चेयर परसन) होगा और विश्वविद्यालय का कुलपति महापरिषद् का सचिव होगा ;

परन्तु यदि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री महापरिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहता है, तो वह उत्तर प्रदेश के किसी कैबिनेट मंत्री को महापरिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये नाम निर्दिष्ट करेगा।]⁷

10-(1) महापरिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अधीन होते हुए, तीन वर्ष होगी।

महापरिषद् के
सदस्यों की पदावधि

(2) जब कोई व्यक्ति महापरिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर लिया जाय तो वह यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नामनिर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा वापस ले लिया जाय, ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

(3) महापरिषद् का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाय या यदि [कुलपति]² से भिन्न कोई सदस्य संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह [अध्यक्ष स्वयं या शासन]² से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना महापरिषद् की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या [विश्वविद्यालय]¹ के हितों के प्रतिकूल कार्य करें।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 3 द्वारा निकाला गया।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 3 द्वारा निकाला गया।

5. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

6. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

7. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 2015 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

(4) महापरिषद् का कोई सदस्य [चेयरपरसन]¹ को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]¹ द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।

(5) महापरिषद् में, ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति की यथास्थिति, कोई रिक्ति या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायगी या नामनिर्देशन द्वारा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पद पर तब तक रहेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि नियुक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता;

11—महापरिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थातः—

महापरिषद् की शक्तियाँ

(एक) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन [विश्वविद्यालय]² के [कुलपति]¹ की नियुक्ति करना;

(दो) इस अधिनियम उपबन्धों के अधीन धारा 5 में निर्दिष्ट [विश्वविद्यालय]² के कृत्यों और शक्तियों, ऐसी शक्तियों को छोड़ कर जहाँ वे [विश्वविद्यालय]² के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हों, का प्रयोग करना;

(तीन) [विश्वविद्यालय]² की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और [विश्वविद्यालय]² के सुधार और विकास के लिए उपाय करना;

(चार) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायें;

(पांच) अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को [कुलपति]¹ को या किसी समिति को या किसी उपसमिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और

(छः) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जिन्हें वह [विश्वविद्यालय]² के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

12—(1) महापरिषद् वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और उसके अधिवेशनों के लिए [कम से कम दस दिन की सूचना]³ प्रदान की जाएगी।

महापरिषद् के अधिवेशन

(2) महापरिषद् का [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]¹ अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]¹ द्वारा सम्यक, रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) महापरिषद् की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी अधिवेशन की गणपूर्ति की जाएगी।

(4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि महापरिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों, तो अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत देगा।

(5) यदि महापरिषद् द्वारा आत्ययिक स्वरूप का कार्य आवश्यक हो जाय, तो [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]¹ महापरिषद् के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार को संव्यवहृत

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित। (बाबत पन्द्रह दिन)

किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि महापरिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाए। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के संबंध में महापरिषद् के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जाएगा और कागज-पत्रों को 1[महापरिषद् की आगामी बैठक के समक्ष] रखा जाएगा।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान [विश्वविद्यालय]² के कार्यकलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन [कुलपति]³ द्वारा महापरिषद् के समक्ष उसकी वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेंगे।

13-(1) कार्य परिषद् [विश्वविद्यालय]² की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

कार्य परिषद्

(2) [विश्वविद्यालय]² का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य-परिषद् में निहित होगी जो [विश्वविद्यालय]² की सम्पत्तियों और निधियों पर नियन्त्रण और प्रशासन रखेगी।

14-(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

कार्य परिषद् का गठन

(एक) [कुलपति]³,

(दो) महा-परिषद् के तीन सदस्य, जो महा-परिषद् के [अध्यक्ष (चेयरपरसन) द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे]⁴ ;

5[(दो-क) अध्यक्ष, बार काँसिल आफ इण्डिया या उसका नाम निर्देशिती];

(तीन) अध्यक्ष, राज्य बार काँसिल उत्तर प्रदेश ;

(चार) प्रभारी सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ;

(पांच) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ;

(छः) प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ;

(सात) 6[महापरिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट] दो प्रख्यात शिक्षाविद ;

(आठ) सामाजिक ख्याति प्राप्त दो व्यक्ति, जो 7[महापरिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट] होंगे ;

(नौ) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से संस्थान के दो [वरिष्ठ आचार्य]⁷ ;

(2) [कुलपति]³ कार्यपरिषद् का [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]³ होगा और कुलसचिव कार्य परिषद् का सचिव होगा।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उ० प्र० अधिनियम सं० 26, 2006 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

6. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

7. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 5(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

15-(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् का सदस्य हो, वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

कार्य परिषद् की पदावधि

(2) कार्य परिषद् का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दांडिक अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्बलित हो, के लिए दोषसिद्ध ठहरा दिया जाय या निदेशक से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय का कोई सदस्य [विश्वविद्यालय]¹ में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्य परिषद् के [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]² द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद् की तीन लगातार अधिवशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या [विश्वविद्यालय]² के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(3) जब तक उपर्युक्त उपधाराओं के उपबन्धों के अनुसार कार्य परिषद् की उनकी सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद् के सदस्य स्वयं द्वारा कार्य परिषद् का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, परन्तु वे यथास्थिति, पुनः नामनिर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र रहेंगे।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य कार्य परिषद् के [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]² को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र कार्य परिषद् के [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]² द्वारा स्वीकृत करते ही प्रभावी हो जाएगी।

(5) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नामनिर्देशन करने का हकदार हो, द्वारा, यथास्थिति, या नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नामनिर्देशन द्वारा और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जायगा।

16-धारा 11 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे:-

कार्य परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य

(एक) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से [विश्वविद्यालय]¹ में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे सम्बन्धित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्तव्यों को अवधारित करना;

(दो) समय-समय पर नियुक्ति के ³[धारा 25 के अधीन इस रीति से गठित जैसी विहित की जाय] चयन समिति की सिफारिश पर आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, अध्यापन कर्मचारिवृन्द के ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना जो आवश्यक हो;

(तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारण करना;

(चार) [विश्वविद्यालय]¹ के वित्त, लेखाओं, विनिवेश, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना:

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(पांच) [विश्वविद्यालय]¹ के किसी धन को, जिसके अन्तर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे; या भारत में स्थावर सम्पत्ति के क्रय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिवेश में परिवर्तन करना;

(छः) [विश्वविद्यालय]¹ की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना :

परन्तु कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरित नहीं की जाएगी;

(सात) [विश्वविद्यालय]¹ की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(आठ) [विश्वविद्यालय]¹ के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(नौ) [विश्वविद्यालय]¹ के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश व्यथित अनुभव करें की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और उन्हें दूर करना;

(दस) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और परिसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(ग्यारह) [विश्वविद्यालय]¹ के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) [विश्वविद्यालय]¹ के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय-समय पर ऐसे विनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित उपान्तरित एवं विखण्डित करना;

(तेरह) अपनी किन्हीं शक्तियों को, विनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना; और

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

17-(1) कार्य परिषद विनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

(2) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश और अनुदेश [विश्वविद्यालय]¹ के प्रत्येक विद्यमान अध्यापन या गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होंगे।

प्रवेश और
नियुक्तियों में
आरक्षण

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

18—(1) कार्य परिषद तीन माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और ऐसे अधिवेशन के लिए ¹[दस दिन से अन्यून की नोटिस] दी जाएगी।

कार्य परिषद के अधिवेशन

(2) कार्य परिषद का [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]² कार्य परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्य अपने में से किसी सदस्य को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) कार्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई से उसकी किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।

(4) कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो, यथास्थिति कार्य परिषद का [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]² या उक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

19—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई नियमावली के अधीन रहते हुए कार्य परिषद संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या संस्थान के किसी कृत्य के निर्वहन के लिये या [विश्वविद्यालय]³ से सम्बन्धित किसी मामले में जांच, उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिये ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों को नियुक्ति कर सकती है।

कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

(2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिये ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है, और उन्हें कार्य परिषद के अधिवेशनों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।

⁴[(3) यदि कार्य परिषद द्वारा आत्ययिक स्वरूप कार्य आवश्यक हो जाय, तो [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]² महापरिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार संव्यवहृत किये जाने कि अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। इस उपधारा के अधीन प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि कार्य परिषद के कुल सदस्यों के तिहाई द्वारा सहमति न हो जाए और प्रकरण कार्य परिषद के आगामी अधिवेशन में सूचित किया जायेगा]]

20—(1) विद्या परिषद् [विश्वविद्यालय]³ की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये [विश्वविद्यालय]³ में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसी कि उसी इस अधिनियम या विनियमावली द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद की सलाह देने का अधिकार होगा।

विद्या परिषद

21—(1) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

विद्या परिषद का गठन

(एक) [कुलपति]², जो उसका [अध्यक्ष, (चेयरपरसन)]² होगा;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

(दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो [विश्वविद्यालय]¹ की सेवा में न हों, [अध्यक्ष महापरिषद्]² द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(तीन) उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो;

(चार) उत्तर प्रदेश बार कौंसिल का एक नाम निर्देशिती;

(पांच) [विश्वविद्यालय]¹ के समस्त विभागाध्यक्ष;

(छः) विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य, यदि कोई हो;

(सात) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य [विश्वविद्यालय के सह आचार्यों/सहायक आचार्यों और प्राध्यापकों]³ का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) जहां कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति जिसे वह धारण करता हो, के कारण से विद्या परिषद का सदस्य हो, वहां उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, ज बवह उस पद या नियुक्ति पर न रह जाय।

(4) विद्या परिषद का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो या यदि [कुलपति]⁴ से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य [विश्वविद्यालय]¹ में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद के [अध्यक्ष, (चेयरपरसन)]⁴ की छुट्टी के बिना विद्या परिषद की तीन लगातार अधिवेशनों में सम्मिलित होने में विफल रहे।

(5) जब तक विद्या परिषद की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रूप में समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद के सदस्य उस दिनांक से, जिस पर वे विद्या परिषद के सदस्य होते हैं, तीन वर्ष के अवसान पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे किन्तु, यथास्थिति, पुनः नाम-निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(6) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्या परिषद के सदस्य को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र विद्या परिषद के [चेयरपरसन]⁴ द्वारा इसे स्वीकार करते ही त्याग-पत्र प्रभावी हो जायेगा।

(7) विद्या परिषद में कोई रिक्ति, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिये, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम-निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

22-इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद को, उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

विद्या परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित (बाबत संस्थान के उपचार्यों एवं अध्यापकों)।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(एक) महापरिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(दो) [विश्वविद्यालय]¹ में अध्यापन के पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में कार्य परिषद को सिफारिशें करना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिये योजनायें निश्चित करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद का किसी संकाय के समापन या उप-विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के संबंध में भी रिपोर्ट करना;

(चार) [विश्वविद्यालय]¹ के अन्तर्गत अनुसंधान का संवर्द्धन करना और ऐसे अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(पांच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छः) [विश्वविद्यालय]¹ में प्रवेश के लिए सन्नियम बनाना और समितियां नियुक्ति करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और [विश्वविद्यालय]¹ की डिप्लोमा और उपाधि के सम्बन्ध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(आठ) महापरिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन होते हुये अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियाँ और अन्य पारितोषिकों के लिये प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियाँ और यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के सम्बन्ध में कार्य परिषद को सिफारिश करना;

(दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिये दिनांक नियत करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियाँ, सम्मान डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) विहित या सिफारिश की गयी पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्ट्रों को तैयार करना जो विनियमावली द्वारा समय-समय पर विहित किये जाते हैं; और

(पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के सम्बन्ध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हों।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

23—(1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु अन्यून दो बार अधिवेशन करेगी। **विद्या परिषद के अधिवेशन**

(2) विद्या परिषद का [अध्यक्ष, (चेयरपरसन)]¹ विद्या परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।

(3) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से विद्या परिषद के किसी अधिवेशन की गणपूर्ति करेंगे।

(4) विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत होंगे तो यथास्थिति विद्या परिषद के [अध्यक्ष, (चेयरपरसन)]¹ या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

24—(1) [विश्वविद्यालय]² की एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य **वित्त समिति** होंगे, अर्थात्:—

(एक) [कुलपति]¹ ;

(दो) महापरिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(तीन) कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(चार) उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;

(पांच) उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;

(छः) उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;

(सात) कुल सचिव ;

(आठ) वित्त अधिकारी—सदस्य सचिव।

(2) वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(एक) संस्थान के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद को वित्तीय मामलों की सिफारिश करना।

(दो) नये व्यय समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद को सिफारिशें करना।

(तीन) कार्य परिषद की सिफारिशें करने के लिये सावधिक लेखा विवरणों पर विचार करना और समय—समय पर [विश्वविद्यालय]² के वित्त का पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(चार) स्वप्रेरणा पर या कार्य परिषद या [कुलपति]¹ के निर्देश पर [विश्वविद्यालय]² को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्य परिषद को अपना विचार देना और सिफारिश करना;

(4) वित्त समिति छः माह में कम से कम एक बार करेगी। वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी;

(5) [कुलपति]¹ वित्त समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे।

25—(1) कार्य परिषद [विश्वविद्यालय]² में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिये कार्य परिषद को सिफारिशें करने के लिये चयन समिति का गठन करेगी। **चयन समिति**

(2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(एक) [कुलपति]¹, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, यदि कोई हो, जो ऐसे पद, जिसके लिये चयन किया जाना हो, के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;

(तीन) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिये नियुक्ति की जानी हो वहाँ नामों के पैनल में से [कुलपति]¹ द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ;

(ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से सम्बन्धित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो वहाँ कार्य परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों के पैनल में से [कुलपति]¹ द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले [विश्वविद्यालय प्रशासन के क्षेत्र के]³ तीन विशेषज्ञ।

(3) जहाँ [विश्वविद्यालय]² द्वारा पद स्थापित किये जाने के लिये किसी दाता से विन्यास प्राप्त किया जाय उस पद को भरे जाने के प्रयोजन से दाता को चयन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।

26—[विश्वविद्यालय]² के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

**[विश्वविद्यालय]²
के अधिकारी**

(एक) [कुलपति]¹ ;

(दो) विभागाध्यक्षगण;

(तीन) कुलसचिव;

(चार) वित्त अधिकारी;

(पांच) वित्त अधिकारी;

27—(1) [कुलपति]¹ [विश्वविद्यालय]² का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् निदेशक की नियुक्ति महापरिषद द्वारा **[कुलपति]¹**

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

[विख्यात शिक्षाविद या शिक्षा शास्त्री या विधि के क्षेत्र के विख्यात आचार्यों में से]¹ की जाएगी जिनके नाम, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा महापरिषद को भेजे जायें;

परन्तु प्रथम निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

²[(1-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी महापरिषद् के [अध्यक्ष, (चेयरपरसन)]³ यदि सन्तुष्ट हों, तो पद पर कार्यरत कुलपति को चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् पांच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए सेवा विस्तार प्रदान कर सकेगा तथा प्रकरण महापरिषद के आगामी अधिवेशन में सूचित किया जायेगा।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(दो) [अध्यक्ष (चेयरपरसन), महापरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट]⁴ किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(3) उपधारा (4) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण निदेशक के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम छः माह पूर्व और जब कभी भी महापरिषद द्वारा अपेक्षा की जाय और ऐसे दिनांक से पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समिति महापरिषद को कम से कम तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो निदेशक का पद धारण करने के उपयुक्त हो। समिति महापरिषद को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमानी क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(4) [कुलपति]³ अपने पद ग्रहण के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक या $5[X X X]$ पद धारण करेगा/करेगी:

परन्तु महापरिषद के [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]³ को सम्बोधित ओर स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा निदेशक अपना पद त्याग कर सकेगा और महापरिषद द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जाएगा।

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये [कुलपति]² की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।

(6) [कुलपति]³ किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 9(ख) द्वारा निकाला गया।

(7) यदि [कुलपति]¹ का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग—पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसचिव द्वारा महापरिषद के [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]¹ को तुरन्त दी जायेगी, तो महापरिषद का [अध्यक्ष (चेयरपरसन)]¹ किसी उपयुक्त व्यक्ति को [कुलपति]¹ के पद पर छः माह की अनधिक अवधि के लिये नियुक्त कर सकता है।

(8) यदि महापरिषद की राय में निदेशक जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि महापरिषद को अन्यथा यह प्रतीत हो कि [कुलपति]¹ का पद पर बने रहना [विश्वविद्यालय]² के लिये अहितकार है तो महापरिषद ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे छः माह के भीतर अधिमानतः पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा निदेशक को हटा सकती है।

(9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुए महापरिषद यह आदेश दे सकती है कि अग्रतर आदेशों तक—

(क) ऐसा [कुलपति]¹, [कुलपति]¹ के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (5) के अधीन हकदार था।

(ख) [कुलपति]¹ के पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(10) [कुलपति]¹

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों का समुचित पालन कर लिया जाता है और उस प्रयोजन के लिये आवश्यक समस्त शक्तियों होगी।

(ख) कार्य परिषद के विनिर्दिष्ट और सामान्य निदेशों के अध्याधीन निदेशक संस्थान के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ग) महापरिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद के अधिवेशनों को बुलायेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के निमित्त आवश्यक हो;

(घ) को [विश्वविद्यालय]² में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त शक्तियाँ होंगी।

(11) यदि [कुलपति]¹ की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हों, जिसके लिये तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण को जिसने सामान्य स्थिति में मामले में कार्यवाही की होती, अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिये सूचित करेगा।

28—(1) [विश्वविद्यालय]² में प्रत्येक विभाग के लिये एक विभागाध्यक्ष होगा।

विभागाध्यक्षगण

(2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाय।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

29—(1) कुलसचिव [विश्वविद्यालय]¹ का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी **कुल सचिव** नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से की जाएगी।

(2) कुलसचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद और संकायों का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझ जाएगा।

(3) कुलसचिव—

(एक) कार्य परिषद और [कुलपति]² निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(दो) [विश्वविद्यालय]¹ के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जिन्हें कार्य परिषद उसके भारसाधन में सुपुर्द करे;

(तीन) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों, पाठ्य समिति और [विश्वविद्यालय]¹ के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति का अधिवेशन बुलाने वाली समस्त नोटिस जारी करेगा;

(चार) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों और [विश्वविद्यालय]¹ के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति के समस्त अधिवेशन का कार्यवृत्त रखेगा;

(पांच) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(छः) [विश्वविद्यालय]¹ के अधिवेशनों की कार्य सूची, जैसे ही वे जारी की जाती है, और प्राधिकरणों के अधिवेशनों के कार्यवृत्त की प्रतियां अधिवेशन के आयोजन के एक माह के भीतर कुलध्यक्ष को भेजेगा;

(सात) किसी आपात स्थिति में, जब न तो [कुलपति]² न सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल अधिवेशन बुलाएगा और [विश्वविद्यालय]¹ का कार्य करने के लिए उसके निदेश लेगा;

(आठ) [विश्वविद्यालय]¹ द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों का सत्यापन करेगा या उक्त प्रयोजन के लिये प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करेगा;

(नौ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये [कुलपति]² के प्रति सीधे उत्तरदायी होगा;

(दस) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि कार्य परिषद या [कुलपति]² द्वारा इस अधिनियम या विनियमावली के प्रबन्धों के अधीन समय-समय पर समनुदेशित किया जाय।

(4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में [कुलपति]² [विश्वविद्यालय]¹ की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है जैसा [कुलपति]² उचित समझे।

30—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

वित्त अधिकारी

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) वित्त अधिकारी

(क) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा—विवरण प्रस्तुत करेगा और [विश्वविद्यालय]¹ की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा।

(ख) मतदान को छोड़कर, कार्यपरिषद के वित्त के मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा और उनमें भाग लेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय [विश्वविद्यालय]¹ द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोड़कर) उपगत का उल्लंघन करता हो;

(घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करेगा जो इस अधिनियम या विनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करेगा।

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि [विश्वविद्यालय]¹ की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(छः) [विश्वविद्यालय]¹ की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) वित्तीय मामलों में स्वप्रेरणों से या अपेक्षा किये जाने पर अपने परामर्श के आधार पर परामर्श देगा;

(झ) [विश्वविद्यालय]¹ के आय का संग्रह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखों का अनुरक्षण करेगा;

(ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों की पंजिया अद्यतन अनुरक्षित रखी जाती है और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टाक जांच [विश्वविद्यालय]¹ में नियमित रूप से की जाती है;

(ट) किसी अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;

(ठ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद् या [कुलपति]² द्वारा समनुदेशित किये जायं।

(3) किसी कारण से वित्त अधिकारी को पद रिक्त रहने की स्थिति में [कुलपति]² [विश्वविद्यालय]¹ की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसा शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों, जैसा कि [कुलपति]² उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;

31—(1) उक्त प्रयोजन के लिए बनाये गये विनियमों के अध्याधीन [विश्वविद्यालय]¹ अन्य अधिकारी के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, विनियमों द्वारा तथा विहित सेवा शर्तों को उपवर्णित करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जाएगी जो [विश्वविद्यालय]¹ को सौंपी जाएगी।

(2) [विश्वविद्यालय]¹ और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न हुए किसी विवाद को सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या [विश्वविद्यालय]¹ के प्रेरणा पर विनियमों द्वारा यथा विहित, कार्यपरिषद् द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से गठित किसी माध्यस्थम न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

32—(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए **विनियमावली कैसे बनायी जाये** विनियमावली बना सकती है :

परन्तु कार्य परिषद् [विश्वविद्यालय]¹ के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी विनियम को तब तक नहीं बनायेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाय और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना कार्य परिषद् निम्नलिखित में से किसी एक या सभी विषयों को प्रभावित करने वाले किसी विनियम का निर्माण, संशोधन या निरसन नहीं करेगी, अर्थात्:—

(एक) विद्या परिषद् का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ;

(दो) [विश्वविद्यालय]¹ संबंधी पाठ्यक्रमों और सम्बन्धित शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में अध्यापन संचालित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ;

(तीन) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना ;

(चार) संकायों, विभागों, हालों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;

(पांच) अध्यवेतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना;

(छः) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति या परीक्षाओं या अध्ययन के किसी अन्य पाठ्यक्रम का संचालन या उसका स्तर ;

(सात) छात्रों के नामांकन या प्रवेश की रीति ;

(आठ) [विश्वविद्यालय]¹ की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाएं ;

(2) विद्या परिषद् को उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (आठ) में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों पर विनियम, प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

(3) जहाँ कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी विनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया हो, वहाँ विद्या परिषद् कुलाध्यक्ष को अपील कर सकती है ²[और कुलाध्यक्ष के आदेश द्वारा निर्देश देगा] कि प्रस्तावित विनियम को महापरिषद् के अगले अधिवेशन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाय और यह कि महापरिषद् के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहने तक यह ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा ³[जैसा कि उस आदेश में कुलाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय] :

परन्तु यदि विनियम कर अनुमोदन महापरिषद् द्वारा ऐसे अधिवेशन में नहीं किया जाता है तो यह प्रभावी नहीं रह जाएगा ;

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त विनियम महापरिषद् के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे और महापरिषद् को कार्यपरिषद् द्वारा बनाये गये किसी विनियम को संशोधित करने या उसे रद्द करने की शक्ति होगी।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपरोक्त द्वारा प्रतिस्थापित।

33—(1) कुलाध्यक्ष [विश्वविद्यालय]¹ की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिए और सिफारिशें करने के लिए प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार आयोग का गठन करेगा। **पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति**

(2) आयोग में विधिक क्षेत्र में प्रख्यात तीन से अन्यून शिक्षाविद् होंगे जिसमें से एक, राज्य सरकार के परामर्श से कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त, ऐसे आयोग का [अध्यक्ष/चेयरपरसन]² होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें वही होंगी जैसी कुलाध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाय।

(4) आयोग ऐसी जांच, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को अपनी सिफारिश करेगा।

(5) कुलाध्यक्ष आयोग की सिफारिशों पर ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

34—(1) [विश्वविद्यालय]¹ की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:— **संस्थान की निधि**

(एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(तीन) राज्य बार कौंसिल द्वारा दिया गया कोई अंशदान;

(चार) निजी व्यक्तियों या संख्याओं द्वारा दी गयी कोई वसीयत, दान, विन्यास या अन्य अनुदान;

(पांच) [विश्वविद्यालय]¹ द्वारा फीस और प्रभारी से प्राप्त आय; और

(छः) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि, किन्तु उसमें किसी अभिकरण से प्राप्त कोई निधियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(2) [विश्वविद्यालय]¹ की निधि की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) के अधीन गठित किसी तत्समान नये बैंक में रखी जाएगी या उसे भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1882) द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधानित किया जा सकता है, जैसा कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चय किया जाय;

(3) [विश्वविद्यालय]¹ की निधि का उपयोग संस्थान के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति से किया जा सकता है, जैसा विहित किया जाए।

35—(1) [विश्वविद्यालय]¹ का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा; **वार्षिक लेखा और संपरीक्षा**

(2) [विश्वविद्यालय]¹ की लेखा सम्परीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, की जाएगी;

[1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

[2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

(3) लेखों का, जब सम्परीक्षा हो जाय, प्रकाशन, कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखों की एक प्रति महापरिषद् के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा;

(4) महापरिषद् द्वारा उसके वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक लेखों पर विचार किया जायेगा। महापरिषद् उससे सम्बन्धित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद् को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद्, महापरिषद् द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसी वह उचित समझे। कार्य परिषद् महापरिषद् को उसके अगले अधिवेशन में अपने द्वारा कृत समस्त कार्यवाहियों या कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।

36—(1) कार्य परिषद् ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे महापरिषद् के समक्ष रखेगी।

वित्तीय प्राक्कलन

(2) कार्य परिषद् ऐसे मामले में जहां बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिव्यय में व्यय उपगत किया जाना हो तो यह लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्ययिकता के मामलों में, विनियमावली में विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये व्यय उपगत कर सकती है जहाँ ऐसे आधिव्यय व्यय के संबंध में बजट कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो वहाँ महापरिषद् के उसके अगले अधिवेशन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

37—(1) धारा-26 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी संस्थान के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिकार का दानेदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो;

अधिभार

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय;

38—[विश्वविद्यालय]¹ के प्रबन्धन और प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदाएं ऐसे अभिव्यक्त की जाएगी जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो, उनका निष्पादन निदेशक द्वारा किया जाएगा, और जब इसका मूल्य दस लाख रुपये से अधिक न हो, कुल सचिव द्वारा किया जायेगा।

संविदाओं का निष्पादन

39—[विश्वविद्यालय]¹ को इस अधिनियम के अधीन विधि उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।

[विश्वविद्यालय]¹ द्वारा विधि उपाधि, डिप्लोमा आदि का प्रदान किया जाना

40—यदि परिषद् के दो-तिहाई से अन्यून सदस्य सिफारिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात उपलब्धि और पद के कारण से ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो महापरिषद् किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे सिफारिश किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।

मानव उपाधि

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

41—(1) महापरिषद् कार्यपरिषद् की सिफारिश पर महापरिषद् के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और अधिवेशन में उपस्थित और मत देने वाले महापरिषद् के दो—तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्टता, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसमें महापरिषद् की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गस्त हो या यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो ;

उपाधि का डिप्लोमा का वापस लिया जाना

(2) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाए ;

(3) महापरिषद् द्वारा पारित संकल्प की प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जाएगी ;

(4) महापरिषद् द्वारा किये विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कुलाध्यक्ष को अपील कर सकता है ।

(5) ऐसी अपील में कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

42—राज्य सरकार [विश्वविद्यालय]¹ को ऐसी शर्तों पर ऐसी सीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उचित समझे; [विश्वविद्यालय]¹ द्वारा उपयोग और प्रबन्धन के लिये भवनों, भूमि और जंगम या स्थावर किसी अन्य सम्पत्ति को अन्तर्गत कर सकती है ।

सम्पत्ति का अन्तरण

43—(1) [विश्वविद्यालय]¹ के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी निदेशक होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और [विश्वविद्यालय]¹ की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा ।

अनुशासन

(2) उपखण्ड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी [छात्र को विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड]² पर विचार और अधिरोपण, निदेशक की रिपोर्ट पर कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा :

परन्तु ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को उसके विरुद्ध किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा ।

³[(3) यदि कोई छात्र कार्य परिषद् के आदेश से व्यथित हो, तो वह छात्र कार्य परिषद् द्वारा निर्गत ऐसे दण्ड के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष, महापरिषद् को अपील कर सकता है ।]

44—इस अधिनियम और विनियमावली में किसी बात के होते हुये भी जब कभी [विश्वविद्यालय]¹ किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या [विश्वविद्यालय]¹ द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधियां प्राप्त करें। तो:—

प्रायोजित योजनायें

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 2009 की धारा 10(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

(क) ऐसी प्राप्त धनराशि, निधि से पृथक् रूप से [विश्वविद्यालय]¹ द्वारा रखी जायेगी और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिये ही उपयोग की जायेगी, और

(ख) योजना निष्पादित करने के लिये अपेक्षित कर्मचारिवर्ग की भर्ती प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबन्धन और शर्तों के अनुसार की जायेगी।

45—(1) इस बात के होते हुए भी कि महापरिषद् कार्यपरिषद् विद्या परिषद् या संस्थान का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक् रूप से गठित नहीं है या किसी समय उसके गठन पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है और इस बात के होते हुये भी कि [विश्वविद्यालय]¹ के किसी प्राधिकरण, समिति या निकाय का ऐसा कोई कार्य या कार्यवाही नहीं है जो केवल इन कारणों से अविधिमान्य होगी कि:—

रिक्तियों द्वारा अविधिमान्य न की गयी प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाही

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम—निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(ग) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

(2) [विश्वविद्यालय]¹ के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी व्यक्ति पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा, परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर यदि ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

46—यदि [विश्वविद्यालय]¹ की स्थापना के सम्बन्ध में या [विश्वविद्यालय]¹ के किसी प्राधिकरण के प्रथम अधिवेशन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार [विश्वविद्यालय]¹ के प्राधिकरणों का गठन किये जाने के पूर्व किसी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकता है, या जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों से संगत कोई बात कर सकता है जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम और विनियमावली में उपबंधित रीति से की गयी हो :

कठिनाइयों का दूर किया जाना

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व राज्य सरकार [विश्वविद्यालय]¹ के [कुलपति]² और ऐसे समुचित प्राधिकरण जैसा गठित किया गया हो, की इस निमित्त रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, का अभिनिश्चय करेगा और उस पर विचार करेगा :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

47—इस अधिनियम और तदधीन बनायी गई विनियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महापरिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अधीन होते हुए इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से [विश्वविद्यालय]¹ के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या किन्हीं कर्तव्यों का पालन कर सकता

अस्थायी उपबन्ध

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

है, जिनका प्रयोग और निष्पादन [विश्वविद्यालय]¹ के किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक इस अधिनियम और तदधीन बनायी गई विनियमावली द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम या विनियमावली द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

48—कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियाँ, [विश्वविद्यालय]¹, [कुलपति]², [विश्वविद्यालय]¹ के प्राधिकरणों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरोध, ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेगी, और कोई क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जाएगा, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी विनियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी हो या किया जाना तात्पर्यित हो।

क्षतिपूर्ति

49—इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये किसी विनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रवृत्त होने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए, प्रभावी होंगे।

अधिनियम का
अध्यारोही प्रभाव

उद्देश्य और कारण

यद्यपि उत्तर प्रदेश में अनेक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय विधि विषय में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तथापि उत्कृष्ट अवस्थापना सुविधाओं की कमी के कारण राज्य के बहुत से प्रतिभाशाली छात्रों को अन्य राज्यों, यथा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में स्थापित राष्ट्रीय विधि विद्यालय और विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय विधि संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में विधि शिक्षा के उन्नयन हेतु विधिवेत्ताओं, शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा छात्रों द्वारा उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना हेतु निरन्तर मांग की जा रही है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि विधि और विधिक प्रक्रिया की जानकारी एवं ज्ञान की अभिवृद्धि करने और विद्यार्थियों एवं शोध छात्रों में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं तथा विधान एवं तत्समान विषयों में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिये लखनऊ, उत्तर प्रदेश में "डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान" उत्तर प्रदेश के नाम से एक विधि संस्थान की स्थापना करने के लिये विधि बनायी जाय।

तदनुसार डाक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 35, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 5, 2009 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।